हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
"गीता जीवन गीत"

प्रेषकः सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।	सेवा में, सभी संबंधित, प्राचार्य / मुख्याध्यापक / आचार्य गुरूकुल, राजकीय / अराजकीय विद्यालय।

क्रमांकः 5377 / एनरोलमैन्ट दिनांकः 29/07/2024

विषयः— कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विद्यालय परिवर्तन/**Direct Admission** से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने की सूचना बोर्ड कार्यालय में भेजने बारे।

महोदय/महोदया,

आपके सूचनार्थ लिखा जाता है कि कक्षा नौंवी एवं दसवीं तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की पढ़ाई एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Course) के तहत आती है। वर्णित कक्षाओं का एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण किसी भी छात्र/छात्रा को कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में वैध कारण होने पर ही विद्यालय परिवर्तन की स्वीकृति दी जानी है। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा वैध कारण सहित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में दाखिला लेने के एक महीने के अन्दर–अन्दर सम्बन्धित विद्यालय के मुखिया द्वारा इस Circular में वर्णित दस्तावेज On-line माध्यम से बोर्ड की अधिकारिक website **www.bseh.org.in** पर दिए गए लिंक पर upload किए जाने है।

इसके अतिरिक्त कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में विद्यालय परिवर्तन करने वाले सभी छात्र/छात्रा, चाहे वह इस बोर्ड के अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित होता है या अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त किसी भी विद्यालय में दाखिला लेता है तो उसका डाटा तैयार करते हुए बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक में Option अनुसार दस्तावेज Upload किए जाने है।

अतः सभी विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में विद्यालय परिवर्तन करते हुए प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बोर्ड कार्यालय के प्रावधान अनुसार दाखिला दिया जाना है।

भवदीय

29/7/24
सहायक सचिव, एनरोलमैन्ट शाखा
कृतेः सचिव